255
सी.एम. मॉनिट - A+
328/CMS/SMS/2021

प्रश्न सं. [क्र. 255]

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

आर–23, चित्तौड़ कॉम्पलेक्स के पास, जोन –01 ,एम.पी. नगर, भोपाल–462011
दूरभाष 0755–2552663 फैक्स: 2552662
ई–मेल : bocboard@mp.gov.in

भोपाल, दिनॉक 17.3.21

क्र./भसंकमं/श्र.प्र./44-1/2021/1713

प्रति,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विषयः– मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त टीप – श्री सोहनलाल वाल्मीक, मान. विधायक – "श्रमिक आई.टी.आई. विद्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ करने संबंधी"।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 432/764/2021/ए–16 भोपाल, दिनांक 12.03.2021

-- 0 --

विषयांतर्गत संदर्भित टीप के संबंध में लेख है कि वर्तमान में जिला छिंदवाडा में श्रमिक आई.टी.आई. स्वीकृत नहीं है एवं श्रमिक आई.टी.आई. प्रारंभ करने की मण्डल की कोई योजना भी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण (सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 60 के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 07 जून 2016 में निर्देश हैं कि "Now therefore in exercise of the powers conferred on the Central Government the Ministry of Labour & Employment directs all the State Governments and UT Administrations not to spend the cess fund for construction of buildings for schools, hospitals, training centers, labour shed-cum night shelter, waiting hall, hostels etc., or for any purpose other than for welfare of BOCW workers and their family exclusively" (संलग्न परिशिष्ट–1) इस आशय का उल्लेख भारत सरकार द्वारा रिट याचिका 318/2006 में मान. उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावा में भी किया गया है (संलग्न परिशिष्ट–2)।

उक्तानुसार म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा विधानसभा क्षेत्र परासिया जिला छिंदवाड़ा में श्रमिक आई.टी.आई. प्रारंभ किये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। तद्नुसार जानकारी मॉनिट सूची के टर्मिनल में अंकित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सचिव
म.प्र.भ.स.क.क.मण्डल,
भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17.3.21

पृ.क्र./भसंकमं/श्र.प्र./44-1/2021/1714-15

प्रतिलिपि :–

1. श्री सोहनलाल वाल्मीक, मान. विधायक परासिया जिला छिंदवाडा
2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर

की ओर सादर सूचनार्थ।

सचिव
म.प्र.भ.स.क.क.मण्डल,
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग

255

मध्यप्रदेश भवन एवं,अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

आर-23, चित्तौड कॉम्पलेक्स के पास के पास, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल-462011
दूरभाष 0755-2552663फैक्स 2552662
ई-मेल : bocboard@mp.gov.in

क्र./भसंककमं/श्रमो./44-1/2021/5046 **भोपाल, दिनांक 30/11/21**

प्रति,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विषयः- मान. मंत्री जी, खनिज साधन एवं श्रम, म.प्र. शासन से प्राप्त अर्द्ध शासकीय पत्र -"श्रमिक आई.टी.आई. विद्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ करने संबंधी"।

संदर्भः- श्रमायुक्त, म.प्र., इन्दौर का पत्र क्र. 22/4/अन्वे/पांच/2021/44467 इन्दौर दिनांक 26.11.2021 एवं इसके संलग्न प्राप्त आपका पत्र क्रमांक 1513/945/2021/ए-16 दिनांक 09.11.2021

- - 0 - -

विषयांतर्गत श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के संदर्भित पत्र के माध्यम से मान. मंत्री जी, खनिज साधन एवं श्रम विभाग, म.प्र. शासन के प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम को संबोधित अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 391/मंत्री/ख.सा.श्र./2020 दिनांक 05.03.2021 के संलग्न मान. श्री सोहनलाल वाल्मीक, विधायक परासिया, जिला छिंदवाडा का विधानसभा क्षेत्र परासिया में श्रमिक आई.टी.आई. प्रारंभ कराए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त पत्र के संबंध में लेख है कि वर्तमान में जिला छिंदवाडा में श्रमिक आई.टी.आई. स्वीकृत नहीं है एवं श्रमिक आई.टी.आई. प्रारंभ करने की मण्डल की कोई योजना भी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण (सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 60 के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 07 जून 2016 में निर्देश हैं कि "Now therefore in exercise of the powers conferred on the Central Government the Ministry of Labour & Employment directs all the State Governments and UT Administrations not to spend the cess fund for construction of buildings for schools, hospitals, training centers, labour shed-cum night shelter, waiting hall, hostels etc., or for any purpose other than for welfare of BOCW workers and their family exclusively" (संलग्न परिशिष्ट-1) इस आशय का उल्लेख भारत सरकार द्वारा रिट याचिका 318/2006 में मान. उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावा में भी किया गया है (संलग्न परिशिष्ट-2)।

उक्तानुसार म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा विधानसभा क्षेत्र परासिया जिला छिंदवाडा में श्रमिक आई.टी.आई. प्रारंभ किये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

सचिव
म.प्र.भ.सं.क.क.मण्डल,
भोपाल

पृ.क्र./भसंककमं/श्रमो./44-1/2021/5046A-C **भोपाल, दिनांक 30/11/21**

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन, खनिज साधन एवं श्रम विभाग की ओर अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 391/मंत्री/ख.सा.श्र./2020 दिनांक 05.03.2021 के संबंध में सादर सूचनार्थ।
2. श्री सोहनलाल वाल्मीक, मान. विधायक परासिया जिला छिंदवाडा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म.प्र.भ.सं.क.क.मण्डल,
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग

E:\AS Mam 2019\latter 3ed floor 5.docx